"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 26 जून 2014— आषाढ़ 5, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-61/2014/वाक/पांच (61). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उपधारा (1) के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ-10/56/2014/वाक/पॉच (55) दिनांक 01-04-2014 में अंक 30 जून 2014 के स्थान पर "30-10-2014" प्रतिस्थापित किया जावे,

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ-10/55/2013/वाक/पॉच (74) दिनांक 27-12-2013 में अंक 30 जून 2014 के स्थान पर "31-12-2014" प्रतिस्थापित किया जावे,

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2014

क्रमांक एफ-10-61/2014/वाक/पांच (61). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-61/2014/वाक/पांच (61), दिनांक 25-6-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Raipur, the 25th June 2014

NOTIFICATION

No. F-10-61/2014/CT/V(61). — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby, makes the following amendment :-

AMENDMENT

1. In Notification No. F-10/56/2014/CT/V (55) dated 01-04-2014, for the figure "30-06-2014" the figure "31-10-2014" shall be substituted.

2. In Notification No. F-10/55/2013/CT/V (74) dated 27-12-2013, for the figure "30-06-2014" the figure "31-12-2014" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.